निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 6.01.2020

प्रकरण संख्या : 114 / 2020

उनवान

मूर्ति मन्दिर श्री जगदीश भगवान विराजमान ग्राम बैसार तहसील सॉगोद जिला कोटा जर्ये पुजारी

1. जगदीश पुत्र श्री रंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम बैसार तहसील सॉगोद जिला कोटा,
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री रंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम बैसार तहसील सॉगोद जिला कोटा,
3. महेन्द्र पुत्र श्री रंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम बैसार तहसील सॉगोद जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—

दिनॉक :— 10.02.2021

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:54 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादी ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मूर्ति मन्दिर श्री जगदीश जी भगवान विराजमान ग्राम बैसार तहसील सॉगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की साबिक खसरा नंबर 30 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 42 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 की कुल 43 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम किशनपुरा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी का सेटलमेंट संवत् 2058 में हो चुका है। सेटलमेंट संवत् 2058 के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नंबर 30 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर 58 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.40 हैक्टर तथा खसरा नंबर 42 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नंबर 77 रकबा 3.98 हैक्टर कायम किये गये जिसकी पुष्टि नकल मिलान क्षैत्रफल संवत् 2058 से होती है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मुताबिक मिलान क्षैत्रफल संवत् नये खसरा नंबर 60 का रकबा 0.84 हैक्टर कायम किया गया था किन्तु सेटलमेंट अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा नवीन सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2058–77 में नये खसरा नंबर 60 का रकबा मात्र 0.04 हैक्टर अंकित कर दिया जबकि मुताबिक मिलान क्षैत्रफल खसरा नंबर 60 का वास्तविक रकबा 0.84 हैक्टर हैं। इस प्रकार से सेटलमेंट अधिकारियों को नवीन सेटलमेंट जमाबंदी में आराजी का रकबा कम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार से सेटलमेंट कर्मचारियों को दौराने सेटलमेंट मूर्ति वादी के रकबे में कमी करके त्रुटिपूर्ण अंकन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उक्त सेटलमेंट त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का इल्म वादी मूर्ति के पुजारी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर व नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर प्रथम बार हुआ। राज्य सरकार भूमिधारी होने से लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को वाद में प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम किशनपुरा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 60 का वास्तविक रकबा 0.84 हैक्टर घोषित किया जावे तथा तहसील कार्यालय सॉगोद के रिकार्ड में खसरा नंबर 60 रकबा 0.84 हैक्टर आराजी व तदनुसार लगानराज वादी के नाम दर्ज खाता किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं होने से जवाब बन्द किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। प्रत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल संवत् 2058 को अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 30 मि0 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर 58 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 60 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नंबर 61 रकबा 1.40 हैक्टर कायम किये गये थे किन्तु जमाबन्दी में नये खसरा नंबर 60 का रकबा वास्तविक क्षैत्रफल 0.84 हैक्टर के बजाय लेखनी की त्रुटि से 0.04 हैक्टर अंकित किया हुआ है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी, सेटलमेंट बाद की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नये खसरा नंबर 60 का वास्तविक रकबा 0.84 हैक्टर ही है। ऐसी परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अभिवचनों, रिकार्ड, दस्तावेजात के आधार पर दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम किशनपुरा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नंबर 60 का वास्तविक रकबा 0.84 हैक्टर घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 60 के त्रुटिपूर्ण क्षैत्रफल 0.04 हैक्टर को दुरूस्त किया जाकर सही क्षैत्रफल 0.84 हैक्टर कायम किया जावे व उक्तानुसार ही लगानराज भी दुरूस्त किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:54 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:54 IST
Reason: SelfAttested